

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ0ग0)

// आदेश //

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक 290/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2020

रायपुर, दिनांक 08.05.2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 138/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 19/03/2020, संशोधित आदेश क्रमांक 147/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 22/03/2020 आदेश क्रमांक 197/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 31/03/2020 आदेश क्रमांक 234/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 14/04/2020 एवं आदेश क्रमांक 270/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 03/05/2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी।

2. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पिड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छ0ग0 शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। यही कारण है कि COVID-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में सामाजिक/शारीरिक दूरी (Social/Physical Distancing) को अपनाया जा रहा है।
3. अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रामक बिमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। अतः संक्रमण से बचाव हेतु जिला रायपुर में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि रायपुर जिले में वर्तमान स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा दी गयी छुट को प्रतिबंधित करते हुए सप्ताह में कम से कम 02 दिन पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) की जावे।
4. उपरोक्त परिस्थितियों के प्रकाश में यह उचित है कि कार्यालयीन आदेश क्रमांक 138/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 19/03/2020 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 147/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 22/03/2020 तथा आदेश क्रमांक 197/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 31/03/2020 आदेश क्रमांक 234/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 14/04/2020 एवं आदेश क्रमांक 270/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 03/05/2020 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए इसे 17 मई 2020 के पश्चात् आने वाले माह मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 06:00 बजे तक बढ़ाया जावे एवं माह मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 06:00 बजे तक निम्नानुसार गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जावे :-

4.1- जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालीक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

4.2- आवश्यक सेवाये प्रदान करने वाले निम्न कार्यालय/प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी दूकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों/सेवाओं की सूची निम्नानुसार है :-

1. कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी
2. स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं)
3. दवा दूकान, चश्में की दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन
4. खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें
5. खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन की गतिविधियां।
6. दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)
7. घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6.30 बजे से 9.30 बजे तक लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे।
8. मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें /सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन।
9. बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें
10. जेल
11. अग्निशमन सेवायें
12. ए.टी.एम.
13. टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें
14. पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां
15. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति

16. टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें।
17. सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित)
18. प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया
19. राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।
- 20 (अ) जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्थान/ईकाइयों एवं खान (Mining) को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

(ब) समस्त औद्योगिक संस्थान/ईकाइयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगी।

4.3— सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटल स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

यहाँ यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपातस्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि रायपुर जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत रायपुर जिले में पूर्व से लागू धारा 144 को उपरोक्तानुसार बढ़ाया जाना उचित है।

5. अतः मैं डॉ. एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 138/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 19.03.2020 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 147/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 22.03.2020 द्वारा दिनांक 31.03.2020 एवं आदेश क्रमांक 197/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 31.03.2020 तथा आदेश क्रमांक 234/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 14.04.2020 एवं आदेश क्रमांक 270/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 03.05.2020 द्वारा संपूर्ण रायपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 17 मई 2020 के पश्चात् आने वाले माह मई 2020 के प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 06:00 बजे तक लागू किये जाने का आदेश पारित करता हूँ एवं उक्त समयावधि में कंडिका 04 में बतायी गई समस्त गतिविधियों को प्रतिबंधित करता हूँ, आदेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

6. महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1, दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों, आदेश क्रमांक 149/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 23.03.2020, आदेश क्रमांक 196/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 31.03.2020 आदेश क्रमांक 228/अ0जि0द0/एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर दिनांक 08.04.2020 को

इस आदेश के साथ पढ़ा जावे। अतः उक्त आदेशों द्वारा एवं तत्पश्चात् समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट माह मई में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 06:00 बजे तक की समयावधि को छोड़कर शेष दिवसों में छुट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी।

यह आदेश रायपुर जिले की संपूर्ण सीमाक्षेत्र के लिये दिनांक 17 मई 2020 के पश्चात् आने-वाले माह मई 2020 के प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 06:00 बजे तक या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 8/05/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

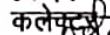

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी
रायपुर (छ0ग0)

रायपुर दिनांक 8.05.2020

पृ. क्रमांक 291 / अ.जि.द./एस. डब्लू./2020
प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर/वीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. उप संचालक, जनसंपर्क, रायपुर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी
रायपुर (छ0ग0)